श्री दीपक आनन्द, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, सारण की अध्यक्षता में दिनांक 07.09.2016 को सम्पन्न आंतरिक संसाधन की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

सर्व प्रथम समाहर्त्ता द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। समीक्षा के दौरान राजस्व संग्रह की स्थिति निम्नवत् पायी गयी :–

1. **परिवहन (Transport)** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण के द्वारा वार्षिक लक्ष्य– 2913.00 लाख रूपयें के विरूद्ध माह–अगस्त 2016 तक 916.75 लाख रूपयें का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 31.47 प्रतिशत है। समाहर्त्ता द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी से पृच्छा की गयी, पृच्छा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वसूली अधिक हुई हैं और वर्ष के अंत तक लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत राजस्व संग्रहण कर ली जाएगी। समाहर्त्ता द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत राजस्व संग्रहण करने का निदेश दिया गया। इसपर जिला परिवहन पदाधिकारी लक्ष्य पूर्ण कर लेने हेतु आश्वस्त कराया गया।

अनुपालन– जिला परिवहन पदाधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी,सदर / मढ़ौरा / सोनपुर / M.V.I / प्रर्वतन अवर निरीक्षक, सारण।

2. **वाणिज्य कर (Commercial Taxes)** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वाणिज्यकर विभाग के वार्षिक लक्ष्य–15427.57 लाख के विरूद्ध–3440.97 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया हैं, जो वार्षिक लक्ष्य का मात्र 22.30 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण नही किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए वाणिज्यकर उपायुक्त को वित्तीय वर्ष 16–17 के अंत तक लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत वसूली करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– वाणिज्य कर उपायुक्त, सारण, छपरा।

3. **राष्ट्रीय बचत(National Savings)** :–समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, सारण के वार्षिक लक्ष्य– 26000.00 लाख रूपयें के विरूद्ध–8722.00 लाख रूपयें का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 33.55 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रहण किये जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए राजस्व संग्रहण जारी रखने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, सारण।

4. **उत्पाद(Excise)**:– समीक्षा के क्रम में समाहर्त्ता द्वारा उत्पाद अधीक्षक को नियमित छापेमारी करते रहने का निदेश दिया गया ताकि सरकार द्वारा लगाये गये शराब पर पूर्ण पाबन्दी का अनुपालन हो सके।

अनुपालन– उत्पाद अधीक्षक, सारण।

5. **खनन(Mining)** :– समीक्षा के क्रम में खनन पदाधिकारी की उपस्थिति नही रहने के कारण समीक्षा नही हो पाई। समाहर्त्ता द्वारा वगैर सूचना के अनुपस्थित रहने की स्थिति में खनन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– विशेष कार्य पदाधिकारी, सारण छपरा।

6. **जिला परिषद् (Jila Parishad)** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभाग द्वारा वार्षिक लक्ष्य 92.32 लाख के विरूद्ध 82.06 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के 88.89 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण किये जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्य में और तेजी लाने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, –सह–
उप विकास आयुक्त, सारण।

7. **सहकारिता (Co-operative)** :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 12.65 लाख के विरूद्ध मात्र 0.74 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के 5.85 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा विभाग के राजस्व संग्रहण की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कम वसूली किये जाने की स्थिति में अर्द्ध–सरकारी पत्र जिला सहकारिता पदाधिकारी को देने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– विशेष कार्य पदाधिकारी, सारण,
जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण।

8. **विद्युत पूर्वी एवं पश्चिमी (Electricity)** :– समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, पूर्वी एवं पश्चिमी के अनुपस्थित रहने के कारण समीक्षा नही हो पाई।

अनुपालन– कार्यपालक अभियंता, पूर्वी एवं पश्चिमी।

9. **मत्स्य (Fisheries)** :–समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 20.47 लाख के विरूद्ध अगस्त 2016 तक 5.30 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है। समाहर्त्ता द्वारा विभाग के राजस्व संग्रहण के स्थिति पर अप्रसंन्नता व्यक्त करते हुए ससमय शतप्रतिशत राजस्व वसूली करने का निदेश मत्स्य पदाधिकारी को दिया गया।

अनुपालन– जिला मत्स्य पदाधिकारी, सारण।

10. **माप–तौल (Weights-Measure)** :– समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि माप–तौल विभाग के द्वारा माह अगस्त 2016 तक कुल 14.25 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है।

समाहर्त्ता द्वारा राजस्व संग्रहण की स्थिति पर असंतोष व्यक्त की गयी। साथ ही नियमित छापेमारी हेतु पूर्व में दिये गये निदेश को नियमित करते रहने के साथ ही शतप्रतिशत राजस्व संग्रहण करने का भी निदेश सहायक कृषि निदेशक –सह– उप नियंत्रक, माप–तौल, सारण प्रमण्डल, छपरा को दिया गया।

अनुपालन– सहायक कृषि निदेशक –सह– उप नियंत्रक, माप–तौल, सारण प्रमण्डल, छपरा।

11. **निबंधक (Registration)** :–समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 10823.00 लाख के विरूद्ध 4302.71 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 39.76 प्रतिशत हैं। समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण नही करने पर पृच्छा की गयी। पृच्छा के क्रम में अवर निबंधक, मशरक, मढौरा, एवं परसा द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंत तक लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत राजस्व वसूली कर ली जाएगी।

समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण करने तथा विचौलियों पर अंकुश लगाने हेतु नियमित कार्यालय की समीक्षा करते रहने हेतु सभी अवर निबंधक एव जिला अवर निबधक को निदेश दिया गया।

अनुपालन– जिला अवर निबंधक/सभी अवर निबंधक, सारण छपरा।

12. **<u>नगर परिषद्, छपरा (Nagar Parishad)</u>** :–समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वार्षिक लक्ष्य 296.21 लाख के विरूद्ध माह अगस्त 2016 तक 222.32 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य का 75.05 प्रतिशत है।

समाहर्त्ता द्वारा लक्ष्य के अनुरूप शतप्रतिशत राजस्व संग्रहण करने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, छपरा को निदेश दिया गया।

अनुपालन– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, छपरा।

13. **नगर पंचायत, परसा, दिघवारा एवं सोनपुर के कार्यापालक पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विभाग की समीक्षा नही हो पायी, जिसके कारण संबंधित पदाधिकरी से समाहर्त्ता द्वारा स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।**

अनुपालन–विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, छपरा।

14. **औषधि नियंत्रक** :–समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह अगस्त 2016 तक 2.90 लाख रू0 का राजस्व संग्रहण किया गया है। समाहर्त्ता द्वारा कम राजस्व संग्रहण किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजस्व संग्रहण में गति लाने के साथ नियमित छापेमारी करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–औषधि नियंत्रक, छपरा।

समाहर्त्ता द्वारा बैठक के अंत में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप, शतप्रतिशत राजस्व संग्रहण करने का निदेश सभी विभाग के पदाधिकारी को दिया गया एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद/नगर पंचायत को अपने–अपने क्षेत्र का विधिवत सफाई कराने का भी निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक .... /   दिनांक ....

प्रतिलिपि— प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, सारण छपरा एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 864 /   दिनांक 16/9/16

प्रतिलिपि— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।